न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज॰

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊमरैणा बनाम मामनS/o जोरमल जाट खेड़लीतर्फ रैला

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 76/18 RA   निर्णय दिनाँक :- 26/3/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीतर्फरैला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-019 किस्म जमीन गै०मु० श्मशान में से 0.105 रकबे पर श्री मामन S/o जोरमल जाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूरा, लकड़ी बिठौड़ा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का ऊमरैणा द्वारा दिनाँक 27/8/18 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. दारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी मामनS/o जोरमलजाट जाति जाट निवासी खेड़लीरैला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस नहीं पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 .... रकबा 0-19 में से 0.105 रकबे किस्म गै०मु०श्मशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 20 Paise का 50 गुणा 15/- पन्द्रह रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ऊमरैणा भू.अ.निरी. दारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज॰)

प्रतिलिपि :- प॰ इ॰ को पालनार्थ
बरामद पर नकल पेश हो।